न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2018

अपीलांट–
पूनमाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर खंरटिया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. भगवानाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर खंरटिया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार बायतु
3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांकः 2010/शिविर/136 दिनांक 11.12.2010 जो उत्तरदाता सं. 2 द्वारा पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19/11/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा धोलाडेर के खसरा नम्बर 23, 24 रकबा कुल 158–11 बीघा के खातेदारान पूनमाराम, भगवानाराम पि0 टीकमाराम कौम जाट साकिन देह खातेदारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2010 तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत खरंटिया, पं0स0 सिणधरी द्वारा की गई

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि उक्त खातेदारान के नाम सह काश्तकारी में दर्ज है। इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया हैं। इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 136 दिनांक 11.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 1 ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1 ने हल्का पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा, जिस पर हल्का पटवारी ने समस्त खेतों का विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन नक्शा पर अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शा व जमाबन्दी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित कर तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उक्त विभाजन प्रस्ताव को तहसीलदार बायतु ने तस्दीक कर भूमि का बंटवाड़ा कर दिया। अपीलांट द्वारा अर्सा पूर्व हल्का पटवारी से अपनी भूमि की पैमाईश करवाई तो बताया कि मौके पर अपीलांट के कब्जे–काश्त के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा व तरमीम नहीं करवाई गई हैं। इस पर अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव की प्रतिलिपि दिनांक 09.7.18 को मांगी जिस पर सर्वप्रथम जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पोडेंट ने हल्का पटवारी से मिलकर अपीलांट्स को धोखे मे रखकर छल व कपट से नक्शा मे अपीलांट के भौतिक कब्जा के विपरित गलत तरमीम का बंटवाड़ा किया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बायतु द्वारा बिना मौके पर पैमाईश किये ही

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्वीकृति जारी कर दी तथा नक्शा में तरमीम का अंकन भी कर दिया। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। विभाजन नक्शा पर अपीलांट्स ने तहसीलदार बायतु के समक्ष सम्पूर्ण रजामंदी प्रकट की गई थी, इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नक्शा तस्दीक कर हल्का पटवारी को रेकर्ड मे अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स को जितना हिस्सा खातेदारी आता हैं उतना ही मौका कब्जा अनुसार विभाजित किया गया है, इसमे किसी प्रकार की कोई विधिक या प्रक्रियात्मक भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट्स स्वंय ने तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर अपने अंगुष्ठ निशान अंकित किये है, ऐसे मे यह कहना गलत हैं कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने पटवारी के साथ सांठ–गांठ कर अपीलाकर्ता के कब्जा–काश्त की अनदेखी कर बंटवाड़ा नक्शा तैयार किया गया हैं। वास्तविकता यह हैं कि नक्शा दोनो सह खातेदारों ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवाड़े एवं कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया हैं जिसमें दोनो पक्षकार की सहमति पर अपीलाधीन स्वीकृति आदेश पारित किया गया हैं, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.12.2010 से ही थी तथा उक्त बंटवाड़ा करते समय दोनो काश्तकारों ने अपनी सहमति विभाजन करवाया गया है, जिसकी इबारत स्वंय तहसीलदार बायतु ने अंकित की हैं कि खातेदार उपस्थित तथा संलग्न नक्शा में दर्शाये हिस्से अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त होना स्वीकार कर बंटवाड़ा मंजूर किया गया। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपीलांट्स को इस बंटवाड़ा की जानकारी दिनांक 11.12.2010 से थी तथा इस आधार पर प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

7. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2010 तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित विभाजन नक्शा की नक्शा लट्ठा ट्रैस में गलत तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं। ऐसे में प्रथम तो अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं, द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। अपीलांट विभाजन नक्शा को सही होना स्वीकार करते हैं किन्तु इसके आधार पर नक्शा में हुई तरमीम को अशुद्ध होना बता रहे हैं तो इस आधार पर मूल विभाजन को चुनौती दिये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता हैं। ऐसे में यदि विभाजन नक्शा से भिन्न नक्शा लट्ठा मे तरमीम का अंकन हुआ हैं तो इसे सक्षम प्राधिकारी भू–अभिलेख अधिकारी के समक्ष चाराजोही प्रस्तुत कर संशोधित करा सकता हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से अपीलाधीन विभाजन प्रस्तुत के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2019.11.28 17:18:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: